उत्तर प्रदेश शासन
मत्स्य उत्पादन अनुभाग
संख्या 1634/सत्रह–म–2014, 6–9(34)/2014
लखनऊः दिनांक 02 सितम्बर 2014

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश प्रास्पेक्टिव फिशरीज विजन डाक्यूमेंट में फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के गठन की व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए प्रदेश में मत्स्य विकास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना है। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 02–05–2014 को सम्पन्न बैठक में सम्यक विचारोपरांत मत्स्य विकास बोर्ड के स्थान पर प्रास्पेक्टिव फिशरीज विजन डाक्यूमेंट में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिये कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में स्टेट लेवल फिशरीज इम्पलीमेंटेशन मॉनीटरिंग एण्ड कोआर्डिनेशन कमेटी (S.L.F.I.M.Co.C.)के गठन के प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।

अतः प्रदेश में समन्वित रूप से मत्स्य विकास को प्रोत्साहित करने के लिये प्रास्पेक्टिव फिशरीज विजन डाक्यूमेंट में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिये कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में स्टेट लेवल फिशरीज इम्पलीमेंटेशन मॉनीटरिंग एण्ड कोआर्डिनेशन कमेटी का गठन निम्नवत् किया जाता है:–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त – अध्यक्ष।
2. प्रमुख सचिव मत्स्य – उपाध्यक्ष।
3. प्रमुख सचिव कृषि – सदस्य।
4. प्रमुख सचिव राजस्व – सदस्य।
5. प्रमुख सचिव सिंचाई – सदस्य।
6. प्रमुख सचिव संस्थागत वित्त– सदस्य।
7. प्रमुख सचिव सहकारिता – सदस्य।
8. प्रमुख सचिव वन – सदस्य।
9. प्रमुख सचिव पंचायतीराज– सदस्य।
10. प्रमुख सचिव नियोजन – सदस्य।
11. प्रमुख सचिव वित्त – सदस्य।
12. प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास– सदस्य।
13. निदेशक मत्स्य – सदस्य सचिव।
14. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0–विशेष आमंत्रित सदस्य।
15. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 म0जी0सह0संघ0 लि0–विशेष आमंत्रित सदस्य।
16. निदेशक एन0बी0एफ0जी0आर0 लखनऊ–विशेष आमंत्रित सदस्य।

PA to DF
3/9/2014
DD(P)
04.9.14
ADF(P)/नि0स0

17. विभागाध्यक्ष मत्स्य विज्ञान विभाग आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद—विशेष आमंत्रित सदस्य।
18. मुख्य महाप्रबन्धक नाबार्ड—विशेष आमंत्रित सदस्य।

मत्स्य विकास के मार्ग में बाधक अर्न्तविभागीय समस्याओं के निराकरण एवं मत्स्य विकास के प्रोत्साहन सम्बन्धी समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श एवं समीक्षा हेतु उक्त कमेटी की बैठक प्रत्येक त्रैमास में मत्स्य विभाग द्वारा आयोजित करायी जायेगी।

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

संख्या 1634(1)/सत्रह—म—2014, तद्‌दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2— कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0लखनऊ।
3— अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4— समस्त सदस्यगण।
5— निदेशक मत्स्य,उ0प्र0 लखनऊ।
6— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ (विशेष आमंत्रित सदस्य)।
7— प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 मत्स्य जीवी सह0संघ0 लि0—(विशेष आमंत्रित सदस्य)।
8— निदेशक एन0बी0एफ0जी0आर0 लखनऊ—(विशेष आमंत्रित सदस्य)।
9— विभागाध्यक्ष मत्स्य विज्ञान विभाग आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद—विशेष आमंत्रित सदस्य।
10—मुख्य महाप्रबन्धक नाबार्ड—विशेष आमंत्रित सदस्य।
11—गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनन्त कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

17. विभागाध्यक्ष मत्स्य विज्ञान विभाग आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद–विशेष आमंत्रित सदस्य।
18. मुख्य महाप्रबन्धक नाबार्ड–विशेष आमंत्रित सदस्य।

मत्स्य विकास के मार्ग में बाधक अर्न्तविभागीय समस्याओं के निराकरण एवं मत्स्य विकास के प्रोत्साहन सम्बन्धी समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श एवं समीक्षा हेतु उक्त कमेटी की बैठक प्रत्येक त्रैमास में मत्स्य विभाग द्वारा आयोजित करायी जायेगी।

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

संख्या 1634(1)/सत्रह–म–2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2– कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0लखनऊ।
3– अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4– समस्त सदस्यगण।
5– निदेशक मत्स्य,उ0प्र0 लखनऊ।
6– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ (विशेष आमंत्रित सदस्य)।
7– प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 मत्स्य जीवी सह0संघ0 लि0–(विशेष आमंत्रित सदस्य)।
8– निदेशक एन0बी0एफ0जी0आर0 लखनऊ–(विशेष आमंत्रित सदस्य)।
9– विभागाध्यक्ष मत्स्य विज्ञान विभाग आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद–विशेष आमंत्रित सदस्य।
10–मुख्य महाप्रबन्धक नाबार्ड–विशेष आमंत्रित सदस्य।
11–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनन्त कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव